Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 83: Provisional attachment to protect revenue in certain cases

- ¹[(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.]
- (2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under subsection (1).

Sub-section (1) substituted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(1) Where during the pendency of any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 67 or section 73 or section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed."

धारा 83 : कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की

- ¹[(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।
- (2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा।

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

[&]quot;(1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।"